



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-08.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 255/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, घटनास्थल से आलाकत्ल एक अवैध छुरा बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.05.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री सुरेश पुत्र विनोद उपाध्याय निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त प्रशान्त पुत्र संजय निवासी जैन मौहल्ला कस्बा बागपत थाना



कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने उसकी पोती ( अपनी पत्नी) की छुरी से गला रेतकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 255/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 255/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित हत्यारोपी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है व घटनास्थल से आलाकत्ल एक अवैध छुरा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

प्रशान्त पुत्र संजय निवासी जैन मौहल्ला कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तारी का स्थान-**


मवीकलां कट पर बने ओवर ब्रिज के नीचे थाना कोतवाली बागपत ।

**बरामदगी का विवरण-**

- आलाकत्ल एक अवैध छुरा ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1- निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री महेशचन्द्र शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4- म0उ0नि0 मोना शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- आरक्षी 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट  
थाना दोघट

दिनाँक-08.05.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 45/2024 धारा 380/457/411 भादवि व मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379/427/411 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक

13.02.2024 को  
थाना दोघट पर  
अक्षय पुत्र लोकेन्द्र  
सिंह निवासी ग्राम  
रमाला थाना रमाला  
जनपद बागपत ने



सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा बिजली घर कस्बा दोघट से करीब 900 मीटर केबिल चोरी कर ली गयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 19.02.2024 को थाना दोघट पर शमशाद ठेकेदार निवासी ग्राम असारु थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र टीकरी पी0टी0डब्ल्यु0 की लाइन विभाजित करने हेतु चल रहे पोषकों के निर्माण कार्य से करीब 1390 मीटर डॉग तार को चोरी कर लिया गया है तथा लाइन का खम्बा क्षतिग्रस्त कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त अभियोगों में पूर्व में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा चोरी हुए सामान की बरामदगी व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मु0अ0सं0 45/24 को धारा 379 भादवि से धारा 380 में परिवर्तित कर धारा 457 भादवि की वृद्धि की गयी तथा दोनों अभियोगों में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 380/457/411 भादवि व मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379/427/411 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सूरज उर्फ लद्दु पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2-फौजी उर्फ अभिषेक पुत्र सतपाल निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 6- उ0नि0 रजत कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7- उ0नि0 विपिन गौतम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 8- का0 39 अश्वनी कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।